

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

.....विवाही..... बनामश. सु. २ म. म......

प्रकरण संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/9/24	पत्रावली पेश हुई। ककुलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>7/10/24</u> को पेश हो	
	7/10/24	पत्रावली पेश हुई। ककुलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>16/10/24</u> को पेश हो	
	18/10/24	पत्रावली पेश हुई। ककुलाय द्वारा कन्डोलेंस/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>29/10/24</u> को पेश हो	
	29/10/24	पत्रावली पेश। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। छान-छान शवाज लगाया। कोई फिट भी कोई धाजिट नहीं। वस्तु यह स्पष्ट है कि इक्ल वाद-पत्र के पत्र वादी एवं वादी अधिवक्ता कोई अग्रत कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं।	
		अतः इक्ल वाद पत्र वाद बाबत विभाजन एवं ध्यापी निवेद्योता धाप 53 एवं 188 R.T. Act अन्तर्गत धजरी-अर्द्ध धाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली एवं नमूने के क्रम अंक धाजरी	

दफ्तर उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला जयपुर